निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 96/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. सुरेश दास स्वामी सह सचिव दादू पंथी समाज पंचायत पंच भण्डारियान जमात लालसोट जिला दौसा (राजस्थान) अप्रार्थी संख्या 2/1
2. (जामिलदास स्वामी पुत्र श्री मीठादास स्वामी दादू पंथी, निवासी वार्ड नम्बर 5, लालसोट जिला दौसा, हाल निवासी निवाई महन्त की हवेली, रामगंज बाजार जयपुर, अप्रार्थी संख्या 2 फौत)

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर पूर्व ।
2. जगदीश दास स्वामी पुत्र औंकारदास स्वामी दादू पंथी निवासी वार्ड नम्बर 5 लालसोट, जिला दौसा, वर्तमान निवासी मकान नम्बर 704, लालसोट टाऊन, सांगानेरी गेट के बाहर, जयपुर शहर पूर्व (अप्राथी संख्या–1)
3. दिनेश स्वामी पुत्र संत गोपालदास स्वामी दादू पंथी निवासी वार्ड नम्बर 6, लालसोट, जिला दौसा, वर्तमान निवासी मकान नम्बर 704, लालसोट टाऊन, सांगानेरी गेट के बाहर, जयपुर (अप्रार्थी संख्या–2)
4. महंत हनुमानदास स्वामी चेला स्व॰ रामप्रसाद दास दादू पंथी निवासी मकान नम्बर 1367 निवाई महंत की हवेली, रामगंज बाजार, जयपुर (अप्रार्थी संख्या 1 फौत)

   1/1 महन्त राम प्रकाश दास स्वामी चेला स्व॰ महन्त हनुमान दास स्वामी महन्त /प्रबन्धक श्री दादू द्वारा, रामगंज, निवासी मकान नम्बर 1367 श्री दादू निवाई, महन्त की हवेली, रामगंज बाजार, जयपुर (अप्रार्थी संख्या 1/1)

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 411 दण्ड प्रकिया संहिता मुकदमा ब उनवानी जगदीश दास स्वामी बनाम महन्त हनुमान दास फौजदारी प्रकरण संख्या 4/2006 अन्तर्गत धारा 145 सी आर पी सी अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर पूर्व को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री गणेश विजयवर्गीय अधिवक्ता अप्रार्थीसंख्या 1/1 की ओर से ।
3. श्री कान्ता प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से ।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय **दिनांक 02.01.2024**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर पूर्व के समक्ष प्रकरण संख्या 04/2006 ब उनवानी जगदीश दास स्वामी बनाम महन्त हनुमान दास व अन्य विचाराधीन है। जिसमें अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर पूर्व से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1/1 की ओर से वकील श्री गणेश विजयवर्गीय व अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री कान्ता प्रसाद शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण को लम्बित हुये करीब 17–18 साल हो गये है। प्रकरण मे मातहत पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है प्रकरण में करीब 5 साल से आगे प्रोसिडिंग्स नहीं बढ रही है। प्रकरण में जानबूझ कर डिले किया जाकर प्रार्थीगण को न्याय से वंचित किया जा रहा है। प्रकरण में केवल तारीख पर तारीख दी जा रही है। इस प्रकरण के कारण प्रार्थी को प्रशासन शहरों के संग अभियान में भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रकरण में जानबूझ कर देरी कर न्याय से वंचित किया जा रहा है। मातहत के समक्ष जो प्रकरण लम्बित है वह अन्तर्गत धारा 145 सी आर पी सी की कार्यवाही है, जिसमें समरी प्रोसिडिंग्स होती है और समरी प्रोसिडिंग्स होकर प्रकरण जल्द से जल्द निस्तारीकरण किया जाना है, परन्तु प्रकरण में जानबूझ कर विलम्ब कर केवल तारीख पर तारीख देकर सभी पक्षों को न्याय से वंचित किया जा रहा है ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण को अन्यत्र कहीं भी शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु अन्तरण किया जाना आवश्यकीय व प्रार्थनीय है। प्रकरण में कई पक्षकार मर गये है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 महन्त हनुमानदास स्वामी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके उत्तराधिकारी महन्त राम प्रकाश दास स्वामी चेला स्व॰ महन्त हनुमान दास है एवं इसी तरह प्रार्थी संख्या 2 जालीमदास स्वामी का स्वर्गवास हो चुका है जिसका प्रार्थी उत्तराधिकारी है जिसके संबंध में दी गई दरख्वास्त भी लम्बित है। उनका भी आज दिन तक निस्तारण नहीं किया गया है। प्रकरण में जानबूझ कर मिलीभगत कर देरी की जारही है तथा समुचित सुनवाई नहीं कर न्याय से वंचित किया जारहा है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।
5. अप्रार्थी संख्या 1/1 व 3 के अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में अभी तक पक्षकार नहीं बना है। पीठासीन अधिकारी श्रीमति अमृता चौधरी का भी स्थानान्तरण हो गया है। प्रार्थी ने जानबूझ कर दबाव बनाने की नियत से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में त्रिलोचन सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार संख्या 3 के रूप में नियोजित होने तथा प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाये जाने तथा प्रार्थी को अभी तक प्रकरण में पक्षकार संस्थित नहीं किये जाने का कथन कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का अनुरोध किया है।

8. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर पूर्व ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। साथ ही पीठासीन अधिकारी ने निवेदन किया है कि प्रकरण में पक्षकार महन्त गोविन्ददास स्वामी, महन्त रामप्रकाश स्वामी व स्व॰ महन्त हनुमान दास स्वामी का उत्तराधिकारी होने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है। उक्त सम्बन्ध में प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, वहीं से उत्तराधिकार का निर्णय होना है। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मामले में अभी तक पक्षकार भी संस्थित नहीं हुआ है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल दबाव बनाने के लिए पीठासीन अधिकारी के विरूद्व यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया जाना पाया गया है जो सही नही है। पीठासीन अधिकारी श्रीमती अमृता चौधरी आर॰ए॰एस॰ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर पूर्व को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक **02.01.2024** को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner